29/2016

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A6
7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 29/16

गुलाबी बाई पुत्री श्री जीवनराम जाति बावरी निवासी कालवासिया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर जरिये मुख्त्यारखास काशी राम पुत्र श्री किशनाराम जाति आवरी निवासी 17 जी0 एम0 तहसील श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

कालूराम पुत्र श्री बीरबल राम जाति बावरी निवासी बहरामपुरा बोदला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश 20–04–16 तहसीलदार, सादुलशहर

उपस्थित : 1.श्री फलभूरसिंह , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री प्रदीप सिहाग, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्टस

आदेश **दिनांक : 29–09–16**

प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया – अपीलांटा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी आर टी एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि चक 33 ए एम पी खाता सं0 157/155 प0 नं0 81/175, मु0 नं0 20 कि0 नं0 12 ता 13, 18 ता 23, प0 नं0 78/176, मु0 नं0 27 कि0 नं0 16,17 प0 नं0 79/176 मु0 नं0 28 कि0 नं0 21, 22, प0 नं0 81/176 मु0 नं0 30 कि0 नं0 2, 3, 5 से 9ख 12 ता 14, 17 ता 19 व 22 कुल खाता योग 6.831 है0 आराजी हेमा राम पुत्र औकांर के नाम दर्ज कागजात है। प्रार्थिया के पिता जीवन राम ने हेमाराम पुत्र औंकार से जरिये इकरारनामा चक 33 ए एम पी प0 नं0 81/176 मु0 नं0 2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 कुल 2.530 है0 आराजी खरीद की गई थी । खरीद के रोज से ही प्रार्थिया के पिता उक्त कृषि भूमि पर काबिज रहा है। हेमाराम की मृत्यू के बाद प्रभुराम द्वारा उक्त कृषि भूमि का बैयनामा ना करवाने की वजह से प्रार्थिया के पिता ने अपर जिला न्यायाधीश सं0 2, हनुमानगढ के न्यायालय में वाद सं0 5/78 प्रस्तुत किया जो दिनरांक 29–5–81 को डिक्री किया जा चुका है। उक्त निर्णय व डिक्री की अपीलें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं इसलिए दिनांक 29–5–81 का निर्णय व डिक्री अंतिम हो चुकी है। प्रार्थिया के पिता जीवन कुमार के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि पर उसका कब्जा रहा है। प्रार्थिया के पिता द्वारा उक्त आराजी की कोई भी वसीयत या किसी प्रकार का अंतरण नहीं किया गया है और न ही कब्जा कभी भी अप्रार्थी को सौंपा गया है। प्रार्थिया ने दो वर्ष पूर्व सन् 2012 में अपनी उक्त आराजी ठेके पर रेस्पोडेन्ट 15000–00 रू0 प्रति बीघा की दर से काश्त पर दी थी। प्रार्थिया ने ठेके की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

राशि की मॉग की तो अप्रार्थी ने देने से मना कर दिया। इस पर प्रार्थिया ने अधी0 न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–4–16 को अस्वीकार कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया जीवन राम की विधिक उतराधिकारी होने के तथ्य पर गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य पर गौर नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थिया रेस्पोडेन्ट से कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी थी। वसीयत एवं वारिसान के संबंध में प्रकरण अन्य न्यायालयों में विचाराधीन है जबकि रेस्पो0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29–5–81 के विरूद्व की गई अपील खारिज हो चुकी है, जिसके विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं की गई है। कालूराम द्वारा तैयार फर्जी वसीयत की एफ आई आर दर्ज है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–4–16 निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थिया के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को आधार बनाते हुए अपनी बहस में कहा है कि प्रार्थिया – अपीलांटा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी आर टी एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि चक 33 ए एम पी खाता सं0 157/155 प0 नं0 81/175, मु0 नं0 20 कि0 नं0 12 ता 13, 18 ता 23, प0 नं0 78/176, मु0 नं0 27 कि0 नं0 16,17 प0 नं0 79/176 मु0 नं0 28 कि0 नं0 21, 22, प0 नं0 81/176 मु0 नं0 30 कि0 नं0 2, 3, 5 से 9, 12 ता 14, 17 ता 19 व 22 कुल खाता योग 6.831 है0 आराजी हेमा राम पुत्र औकांर के नाम दर्ज कागजात है। प्रार्थिया के पिता जीवन राम ने हेमाराम पुत्र औंकार से जरिये इकरारनामा चक 33 ए एम पी प0 नं0 81/176 मु0 नं0 2 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 कुल 2.530 है0 आराजी खरीद की गई थी । खरीद के रोज से ही प्रार्थिया के पिता उक्त कृषि भूमि पर काबिज रहा है। हेमाराम की मृत्यू के बाद प्रभुराम द्वारा उक्त कृषि भूमि का बैयनामा ना करवाने की वजह से प्रार्थिया के पिता ने अपर जिला न्यायाधीश सं0 2, हनुमानगढ के न्यायालय में वाद सं0 5/78 प्रस्तुत किया जो दिनरांक 29–5–81 को डिक्री किया जा चुका है। उक्त निर्णय व डिक्री की अपीलें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी हैं इसलिए दिनांक 29–5–81 का निर्णय व डिक्री अंतिम हो चुकी है। प्रार्थिया के पिता जीवन कुमार के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमि पर उसका कब्जा रहा है। प्रार्थिया के पिता द्वारा उक्त आराजी की कोई भी वसीयत या किसी प्रकार का अंतरण नहीं किया गया है और न ही कब्जा कभी भी अप्रार्थी को सौंपा गया है। प्रार्थिया ने दो वर्ष पूर्व सन् 2012 में अपनी उक्त आराजी ठेके पर रेस्पोडेन्ट 15000–00 रू0 प्रति बीघा की दर से कांश्त पर दी थी। प्रार्थिया ने ठेके की राशि की मॉग की तो अप्रार्थी ने देने से मना कर दिया। इस पर प्रार्थिया ने अधी0 न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–4–16 को अस्वीकार कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिया जीवन राम की विधिक उतराधिकारी होने के तथ्य पर गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य पर गौर नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अपीलार्थिया रेस्पोडेन्ट से कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी थी। वसीयत एवं वारिसान के संबंध में प्रकरण अन्य न्यायालयों में विचाराधीन है जबकि रेस्पो0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29–5–81 के विरूद्व की गई अपील खारिज हो चुकी है, जिसके विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं की गई है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

कालूराम द्वारा तैयार फर्जी वसीयत की एफ आई आर दर्ज है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–4–16 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपीलार्थिया को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अपीलार्थिया जीवन राम की विधिक उतराधिकारी नहीं है बल्कि उसकी रिश्तेदार है। वादग्रस्त भूमि जीवनराम की खरीद की हुई है, जिसकी डिक्री हुई है तथा उसकी इजराय चल रही है। इजराय के संबंध में सिविल कोर्ट तय करेगी। अपीलार्थिया का टाईटल नहीं है। वसीयत फर्जी है अथवा नहीं, यह तथ्य सिविल कोर्ट तय करेगी। रेस्पोडेन्ट मौके पर मकान बना कर निवास कर रहे हैं, जिसकी कभी भी किसी को कोई आपति नहीं हुई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील सारहीन है, खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट के अधिवक्ता ने जवाब में कहा है कि जीवनराम की एक मात्र वारिस गुलाबी बाई है, जिसे उच्च न्यायालय में पक्षकार बनाया गया है। कालूराम द्वारा फर्जी वसीयत बनाई गई है, जो एफ0एस0एल0 से खारिज हो चुकी है। ग्राम पंचायत ने भी गुलाबी बाई को वारिस माना है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–16 जिसके द्वारा अपीलार्थिया का धारा 183बी आर टी एक्ट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलार्थिया के जीवन राम के वारिस होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा वारिस प्रमाण पत्र व राशन कार्ड की प्रतियों पर गौर नहीं किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य का गहनता से अवलोकन नहीं किया गया है। विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में विधिक स्थिति का ऑकलन नहीं किया गया है। वसीयत एवं इजराय के तथ्यों पर विधिक रूप से विवेचन नहीं किया गया है। वसीयत एवं वारिसान के संबंध में प्रकरण अन्य न्यायालयों में विचाराधीन है जबकि रेस्पो0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29–5–81 के विरूद्व की गई अपील खारिज हो चुकी है, जिसके विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों पर बिना गुणावगुण पर विचार किये अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिसम्मत् कार्यवाही करने एवं विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखने तथा विभिन्न न्यायालयों में वसीयत एवं वारिसान के मुकदमों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–4–16 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों को

Leave

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

29/2016 - अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, उपरोक्तानुसार समस्त विधिक बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष के आधार पर पुनः विधिसम्मत् आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–10–16 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 29–9–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9/16

(करतारसिंह पूनियाँ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)